

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

उगमा बनाम भवेर (कौरा)

रस मुकदमा प्र.पत्र 111-128 नं. 30 सन 2022

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शामिल किये गये। वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी ल. 13 के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अप्रार्थीगण 01 अगस्त 12 व 14 अगस्त 34 को खिती मर्तवा आवाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है, तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली दिया गया। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली दिया गया। पत्रावली फं लल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p>	<p>प्रतिवादी ल. 13 के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 30/2022

1- उगमा पिता बक्षु जाट निवासी नयारखेड़ा तहसील माण्डल जिला

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री भेंवर पिता हीरा जाट निवासी नयारखेड़ा तहसील माण्डल जिला

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 408-410 कुल किता 02 रकबा 8.3087 हे० बीघा ----- बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चेन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-02-2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को बलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी होने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 408-410 कुल किता 02 रकबा 8.3087 हे० बीघा ----- बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चौदरास को 4000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा